:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

:: कार्यालय आदेश ::

श्रीमती सावित्री, सहायक परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम–08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम श्रीमती सावित्री गढवाल किया है।

श्रीमती सावित्री, सहायक परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर के राजकीय सेवा से संबंधित अभिलेखों में इनका नाम श्रीमती सरोज के स्थान पर श्रीमती सावित्री गढवाल अंकित करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्रीमती सावित्री, सहायक परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर से संबंधित राजकीय आदेश/कार्यो में परिवर्तित नाम श्रीमती सावित्री गढवाल सम्बोधित/जारी किये जावें।

Rajasthan Education Department

(कांना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/संस्था/ए–4/उपनाम परिवर्तन/2022/10 दिनांक : 21-2-22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चुरू मण्डल, चुरू।
2. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय–माध्यमिक शिक्षा सीकर।
3. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर।
4. श्रीमती सावित्री गढवाल, सहायक परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सीकर
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 918/2020 श्रीकिशन वर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2020 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अय्यामपेरूमल बनाम रजिस्ट्रार, कैट व अन्य याचिका संख्या 15732/2017 में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2017 के परिप्रेक्ष्य में निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी श्रीकिशन वर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि याचिकार्थी दिनांक 30.06.2012 को प्रधानाध्यापक पद से राजकीय माध्यमिक विद्यालय पाथानगर, बिलाड़ा जिला जोधपुर से सेवानिवृत्त हुए। याचिकार्थी द्वारा दिनांक 01.07.2012 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि व पेंशन से सम्बन्धित समस्त परिलाभ की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अय्यामपेरूमल बनाम रजिस्ट्रार, कैट व अन्य (याचिका संख्या 15732/2017) में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2017 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार (रूल्स डिवीजन) के परिपत्र एफ.9(33)एफडी/रूल्स/2007 दिनांक 11.02.2020 में अवधारित किया गया है कि " In so far as P. Ayyamperumal case is concerned, it is stated that the judgment of Hon'ble High Court of Madras is in personem.Further, the case of Sh. M.Balasubramaniam referred by Hon'ble High Court in it's judgment in P. Ayyamperumal case is related to Fundamental Rules of Tamilnadu Government whereas P. Ayyamperumal case relates to Central Government Rules.It is relevant to mention here that in a similar matter, Hon'ble High Court of Andhra Pradesh at Hyderabad in year 2005, in C Subbarao case, has inter-alia observed that a person who retires [illegible] day would not be entitled for any increment falling due on the next day and payable next day thereafter because he would not test in these Rules.In addition, subsequent to the judgment of Hon'ble CAT Madras Bench vide its orders dated 19.03.2019 and order dated 27.03.2019 has also dismissed the similar requests related with notional [illegible] pensionary benefits."

राजस्थान सिविल सेवा (Revised [illegible] 2017 (दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वार्षिक वेतन वृद्धि [illegible] की एक जुलाई को दी जायेगी एवं वे कार्मिक जिन्होंने आगामी एक जुलाई को वे मैट्रिक्स के [illegible] 6 माह या अधिक पूर्ण कर लिये हो, वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु पात्र होंगे। याचिकार्थी श्री श्रीकिशन वर्मा [illegible]2012 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके है। इस प्रकार वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 11.02.2020 एवं दिनांक 06.07.2021 के प्रावधानानुसार याचिकार्थी द्वारा वांछित अनुतोष देय नहीं है। उक्तानुसार याचिकार्थी श्री श्रीकिशन वर्मा का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी पक्षकार [illegible]

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/ई-5/एसबीसिया/श्रीकिशन वर्मा/918/2021 दिनांक: 21/2/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री रमेश चन्द्र सेवानिवृत प्रधानाध्यापक राउमावि ढाकी, तिजारा, अलवर को पूर्व में इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत चयनित वेतनमान आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/अनु./अ/चयनित वेतनमान/ अलवर/2008–09 दिनांक 28.08.2009 को (8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान 8000–13500) निरस्त किया जाता है तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान–2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/ 20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर श्री रमेश चन्द्र, सेवानिवृत प्रधानाचार्य को आश्वासित कॅरियर प्रगति (एसीपी–I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:–

क्र0 स0	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड–पे/पे–लेवल
1	श्री रमेश चन्द्र, राउमावि ढाकी, अलवर	सेवा निवृत प्रधानाचार्य	28.12.1959	01.07.1998	10	30.06.2008	01.07.2008	5400
2	श्री रमेश चन्द्र, राउमावि ढाकी, अलवर	सेवा निवृत प्रधानाचार्य	28.12.1959	01.07.1998	20	30.06.2018	01.07.2018	6600 (L-16)

नोट :–

1. श्री रमेश चन्द्र के उपरोक्त एसीपी स्वीकृति का वेतन निर्धारण/ भुगतान करने से पूर्व, पूर्व में स्वीकृत की गई एसीपी/वरिष्ठ वेतनमान निरस्त कर नियमानुसार वसूली सम्बन्धी कार्यवाही करने के उपरांत ही उक्त लाभ देय होगा।
2. एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड–पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26–ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।

(कानाराम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/संस्था/ए–4/रमेश चन्द्र/एसीपी/547 दिनांक : 21-2-22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय–माध्यमिक शिक्षा, अलवर।
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं.स.तिजारा, जिला अलवर।
3. प्रधानाचार्य, राउमावि, ढाकी, तिजारा, अलवर।
4. श्री रमेश चन्द्र, सेवानिवृत प्रधानाध्यापक, द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

:: कार्यालय आदेश ::

श्रीमती सुषमा अहारी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पानेरियों की मादड़ी, जिला–उदयपुर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम–08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तो को पूर्ण कर अपना नाम सुषमा डामोर किया है।

श्रीमती सुषमा अहारी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पानेरियों की मादड़ी, जिला–उदयपुर के राजकीय सेवा से संबंधित अभिलेखों में इनका नाम सुषमा अहारी के स्थान पर सुषमा डामोर अंकित करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्रीमती सुषमा अहारी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पानेरियों की मादड़ी, जिला–उदयपुर से संबंधित राजकीय आदेश/कार्यो में परिवर्तित नाम सुषमा डामोर सम्बोधित/जारी किये जावें।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department

क्रमांक : शिविरा–मा/संस्था/ए–4/उपनाम परिवर्तन/2021 दिनांक : 21-2-22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर मण्डल, उदयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय–माध्यमिक शिक्षा उदयपुर।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं०स० गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती सुषमा अहारी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पानेरियों की मादड़ी, जिला–उदयपुर
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

:: कार्यालय आदेश ::

श्रीमती सुमिता असवाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाडापदमपुरा, पंचायत समिति चाकसू, जिला–जयपुर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम–08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम सुमिता चन्देल किया है।

श्रीमती सुमिता असवाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाडापदमपुरा, पंचायत समिति चाकसू, जिला–जयपुर के राजकीय सेवा से संबंधित अभिलेखों में इनका नाम सुमिता असवाल के स्थान पर सुमिता चन्देल अंकित करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्रीमती सुमिता असवाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाडापदमपुरा, पंचायत समिति चाकसू, जिला–जयपुर से संबंधित राजकीय आदेश/कार्यो में परिवर्तित नाम सुमिता चन्देल सम्बोधित/जारी किये जावें।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/संस्था/ए–4/उपनाम परिवर्तन/2021/185 दिनांक : 21-2-22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जयपुर मण्डल, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय–माध्यमिक शिक्षा जयपुर।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं0स0 चाकसू, जिला जयपुर।
4. श्रीमती सुमिता असवाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाडापदमपुरा, पंचायत समिति चाकसू, जिला–जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री रामावतार सिंह, तत्कालीन व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाईबडी (सरदारशहर), जिला चुरू वर्तमान प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय रड का बेरा, पं.स. फलौदी, जिला जोधपुर जन्म तिथि 12.07.1966 व्याख्याता पद के वरिष्ठता क्रमांक 285/2012–13 को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची I/III के ग्रुप–डी–II के अनुरूप प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद की वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार चयनोपरान्त कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/डीपीसी–2020–21/2021/1–1028 दिनांक 08.09.2021 द्वारा पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, रड का बेरा, पं.स. फलौदी, जिला जोधपुर में किया गया था।

उक्त आदेशों की पालना में श्री रामावतार सिंह ने दिनांक 18.09.2021 को राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, रड का बेरा, पं.स. फलौदी, जिला जोधपुर में कार्यग्रहण किया। श्री रामावतार सिंह की स्वयं की प्रार्थना पर इनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, रड का बेरा, पं.स. फलौदी, जिला जोधपुर के पद से पदावनत कर पुनः व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के पद पर पदस्थापित किये जाने की स्वीकृति कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.06.2008 के अनुसार पदौन्नति स्वीकार नहीं करने (FOREGO) के प्रावधानों की शर्त पर प्रदान की जाती है।

(कान्ना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए–4/पदावनत/2020/51 दिनांक : 21-2-22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग, जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय–माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, फलौदी जिला जोधपुर को भेजकर कर निर्देशित किया जाता है कि श्री रामावतार सिंह के पदोन्नति उपरान्त प्रधानाचार्य पद पर किये गये वेतन निर्धारण को पुनः संशोधित कर उक्त आदेश का इन्द्राज उनकी संवापुस्तिका में लाल स्याही से करें।
5. अनुभाग अधिकारी संस्थापन सी अनुभाग (राजनीति विज्ञान) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री रामावतार सिंह का पदस्थापन व्याख्याता (राजनीति) के रिक्त पद पर कर अवगत करावें।
6. अनुभाग अधिकारी, डीपीसी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, रड का बेरा, पं.स. फलौदी, जिला जोधपुर
8. श्री रामावतार सिंह, प्रधानाचार्य राउमावि. रड का बेरा, पं.स. फलौदी, जिला जोधपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि व्याख्याता (उ.मा.वि.) के पद पर पदस्थापन आदेश जारी होने तक यथावत कार्यरत रहेंगे।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

सुश्री तरू शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाडी, जिला धौलपुर जिनकी जन्मतिथि 15.06.1962 है, एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 28.12.1987 है।

सुश्री तरू शर्मा पद प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाडी, जिला धौलपुर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम 50 (1) के प्रावधानानुसार 15 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 20.02.2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत की जाती है।

प्रारूप–6 में संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र सुश्री तरू शर्मा, प्रधानाचार्य का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उपरान्त पृथक से जारी किया जायेगा।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए–4/तरू शर्मा/2022/14 दिनांक : 18-02-2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन विभाग भरतपुर।
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग–भरतपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प.स. बाडी, जिला–धौलपुर।
5. प्रधानाचार्य, विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाडी, जिला–धौलपुर।
6. सुश्री तरू शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाडी, जिला–धौलपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी.–1/11 कार्यालय हाजा
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

VRS Praptra 6 and Order

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान–2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार निम्नांकित सेवानिवृत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/ 20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (एसीपी–I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:–

क्र0 स0	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड–पे/पे–लेवल
1	सतीश कुमार, राउमावि 3 केडी घड़साना, श्रीगंगानगर	से0नि0 प्रधानाचार्य	13-03-1956	04-09-1985	30 YEAR	03-09-2015	04-09-2015	6800/-

नोट : –

1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड–पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदौन्नति पर 26–ए का लाभ नही दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/संस्था/ए–4/सतीश कुमार/2021/34 दिनांक : 21-2-22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय–माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर।
2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं.स. घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।
3 प्रधानाचार्य, राउमावि, 3 केडी, घड़साना, श्रीगंगानगर।
4 संबधित कार्मिक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर।
5 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6 गार्ड पंजिका

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department